मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी क्षेत्र – इंदौर

शुद्धि पत्र कमांक 03/03/स्थापना/2015, दिनांक 14.03.2016

सहायक वर्ग –3 तथा स्टेनो टायपिस्ट के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

1. आयोग द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय में रिक्त सहायक वर्ग–03 तथा स्टेनो टायपिस्ट के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन कमांक 03/स्थापना/2015, दिनांक 30.12.2015 आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www. mppsc.nic.in एवं www.mppsc.com पर प्रकाशित किया गया था। उक्त विज्ञापन दिनांक 04.01.2016 के रोजगार और निर्माण समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया गया था। उक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 10.02.2016 से जमा किए जाने थे, जिसकी अन्तिम तिथि 09.03.2016 थी।

2. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र कमांक एफ – 6 – 1/ 2002/ आ.प्र./एक. दिनांक 19.09.2002 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 11.01.2010 के अनुसार अनुसूचित जनजाति बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के आवेदकों ने यदि सहायक वर्ग–03 तथा स्टेनो टायपिस्ट के पद पर नियुक्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया है तो वे आवेदक अपने मूल दस्तावेजों की छायाप्रतियाँ जैसेः– विज्ञापन में दर्शायी अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण–पत्र, मूल–निवासी प्रमाण–पत्र आदि आयोग कार्यालय में दिनांक **18.04.2016** तक आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें। जिससे कि शासन के उपरोक्त परिपत्रों का अनुसरण करते हुए सीधी भर्ती की कार्यवाही की जा सके।

3. विज्ञापन की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

अवर सचिव

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 64] भोपाल, सोमवार, दिनांक 11 जनवरी 2010—पौष 21, शक 1931

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र. एफ. 6-1-2002-आप्र.-एक.—मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) नियम, 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 4-ख के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्,—

''**4-ख आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबंध.**—यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर में सहारिया आदिम जनजाति जिला मण्डला, डिण्डौरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर में बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिन्दवाड़ा के तामिया विकासखण्ड में भारिया जनजाति का है, संविदा शाला शिक्षक या तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद के लिये आवेदन करता है, और विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भर्ती से संबंधित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा.''.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अकीला हशमत, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र. एफ. 6-1-2002-आप्र.-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 6-1-2002-आप्र.-एक, दिनांक 11 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अकीला हशमत, उपसचिव.

Bhopal, the 11th January 2010

No. F. 6-1-2002-RC-I.—In exercise of the powers conferred by Section 13 of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon ke liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994), the State Government, hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon ke liye Arakshan) Rules, 1998, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, for rule 4-B, the following rule shall be substituted, namely :—

" **4-B Special provisions for primitive tribes.**—If the applicant belongs to the Sahariya primitive tribe of districts Sheopur, Morena, Datia, Gwalior, Bhind, Shivpuri, Guna and Ashok Nagar, Baiga Primitive tribe of districts Mandala, Dindori, Shahdol, Umaria, Balaghat and Anuppur and Bhariya primitive tribe of Tamia block of district Chhindwara, applies for the post of Samvida Shala Shikshak or for any post of Class III/IV and possess the minimum prescribed qualification, then he shall be appointed on the said post without adopting the recruitment procedure."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AQUEELA HASHMAT, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.